राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य सुविधायें

1. रोजगार

पूर्व सैनिकों का सेवायोजन	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)द्वारा पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को योग्यतानुसार विभिन्न संस्थानों में सेवानियोजित किया जाता है ।
आरक्षण	(अ) पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ग' व 'घ' की रिक्तियों में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। (ब) सेना में शहीद सैनिकों के परिवार के दो आश्रितों (विधवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री) को राज्याधीन समूह 'ग' तथा 'घ' की सेवाओं में सेवायोजन हेतु वरीयता दिये जाने का प्रावधान है।

2. आर्थिक सहायता

द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन	द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं, जिन्हें किसी भी श्रोत से कोई पेंशन प्राप्त नहीं है, को प्रदेश सरकार द्वारा जीविकापार्जन हेतु ₹ 8000/– प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है।
आवासीय सहायता	युद्ध विधवाओं/युद्ध अपंग सैनिकों, जिन्हें अपंगता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो, एकमुश्त आवासीय सहायता ₹ 2,00,000/– अनुमन्य है ।
अनुग्रह अनुदान	विभिन्न युद्ध, सीमान्त झड़प तथा आन्तरिक सुरक्षा में श्हीद हुये सैनिको व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एक मुश्त ₹ 10,00,000/– अनुग्रह अनुमन्य है ।

3. प्रशिक्षण

भर्ती पूर्व प्रशिक्षण	पूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/अर्द्ध सैनिक/पुलिस बलों की भर्ती में सहायता हेतु जनपद देहरादून व उधमसिंह नगर में 'भर्ती पूर्व प्रशिक्षण' केन्द्र संचालित हैं। जिनमें आवास, भोजन व प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था है।
कम्प्यूटर प्रशिक्षण	पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को स्वावलम्बी बनाने हेतु समस्त जनपदों में निःशुल्क कमप्यूटर प्रशिक्षण संचालित है।

4. शिक्षण संस्थानों में आरक्षण।

जी0 बी0 पंत विश्व विद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में Bsc Ag, Bsc Vet. B.sc Home Science, B. Tech – one seat each)	04 सीट।
राजकीय आई0टी0आई0	08 प्रतिशत।
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	02 प्रतिशत।
राजकीय पालिटेक्निक	03 प्रतिशत।
एम0बी0ए0	02 प्रतिशत।
एम0सी0ए0	02 प्रतिशत।
बी0एड0	15 कृपांक अंक अतिरिक्त(प्रवेश परीक्षा में)।
एल0एल0बी0	05 कृपांक अंक अतिरिक्त(प्रवेश परीक्षा में)।
बी0टी0सी0	3 प्रतिशत।
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल (नैनीताल)	राज्य के सेवारत सैनिकों/पूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित व छात्रवृत्ति अनुमन्य है।

5. अन्य सुविधायें

बस रूट परमिट	राज्य में बस परमिट हेतु पूर्व सैनिकों को 15 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाता है।
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों, युद्ध में घायल विकलांग सैनिकों एवं शारीरिक अक्षमता वाले पूर्व सैनिकों के परिजनों को वरीयतां।
भूखण्डों के आबंटन में आरक्षण	आवास विकास तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में पूर्व सैनिकों को 2 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है।
गृहकर में छूट	सैनिक विधवाओं के स्वामित्व वाले आवासीय भवन, जिनमें वे स्वयं निवास कर रही हों, गृहकर से मुक्त रहेंगे।
स्टाम्प डयूटी मे छूट	सेवारत/पूर्व सैनिको को ₹ 25 लाख तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट।

6. वीरता पदक अनुदान राशि।

राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को देय अनुदान में वृद्धि कर देश में सबसे अधिक अनुदान देने वाले राज्य का दर्जा प्राप्त।

क्र0सं0	पदक	एकमुश्त	वार्षिकी
1	परमवीर चक्र	30,00,000	3,00,000
2	अशोक चक्र	30,00,000	2,50,000
3.	सर्वोत्तम चुद्ध सेवा मैडल	7,00,000	60,000
4.	महावीर चक्र	20,00,000	2,25,000
5	कीर्ति चक्र	20,00,000	2,00,000
6.	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	5,00,000	50,000
7	वीरचक्र	15,00,000	1,50,000
8	शौर्यचक्र	15,00,000	1,00,000
9.	युद्ध सेवा मैडल	4,00,000	40,000
10.	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल(जी0)	7,00,000	50,000
11.	मैशन–इन– डिस्पैच	3,50,000	25,000

वीरता पदक प्राप्तकर्ता सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वार्षिकी राशि 30 वर्ष के स्थान पर आजीवन दिये जाने का निर्णय।

7. **भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित सिविल सेवा में शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट।** भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी की हो उनके लिये आरक्षित सिविल पदो के समूह 'ग' की उन सेवाओं के लिये अर्ह माना जायेगा जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित हो ।

8. **ब्लाक प्रतिनिधियों की नियुक्ति।** पूर्व सैनिकों, विधवाओं, उनके आश्रितों एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के मध्य मिलाप हेतु प्रत्येक ब्लाक में एक–एक ब्लाक प्रतिनिधि मनोनीत किये गये है। इनको राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹ 5000/– का मानदेय एवं प्रतिमाह ₹ 1000/– यात्रा भत्ता दिया जा रहा है। इससे न केवल इनकी कार्यकुशलता बढी है बल्कि 95 पूर्व सैनिकों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है।

9. **ईको टास्क फोर्स।** प्रदेश में 'इको टास्क फोर्स' की चार कम्पनियों का गठन किया गया है। इससे न केवल प्रदेश की हरियाली एवं पर्यावरण में सुधार होगा बल्कि 432 पूर्व सैनिकों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। इन कम्पनियों पर आने वाला पूरा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जो की पॉच वर्षो में लगभग 25 करोड रुपये होगा। प्रदेश में 'इको टास्क फोर्स' की चार अतिरिक्त कम्पनियों के गठन किया जा चुका है।

10. पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु 'शिविरों' का आयोजन। वरिष्ठ गौरव सेनानियों, विशेषकर दूर–दराज इलाकों के वृद्व सैनिकों और विधवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु हर जनपद में चिन्हित स्थानों पर निश्चित दिनों और समय पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

11. **टोल फ्री टेलिफोन।** पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों को निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों से कल्याणकारी कार्यो हेतु सम्पर्क स्थापित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निदेशालय एवं समस्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में निःशुल्क टेलिफोन सेवा लगाने की व्यवस्था की गयी है। इस टेलिफोन पर सम्पर्क करने से कोई शुल्क अदा नही करना पडेगा क्योकि इस पर आने वाला व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। **उत्तराखण्ड़ देश का पहला राज्य है जहॉ टोल फ्री सुविधा उपलब्ध है ।**

12. शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण। सेवारत सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के प्रदेश में बने हुए शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण एक सप्ताह में निस्तारण के आदेश गृह विभाग द्वारा पारित । अन्य प्रदेशों में बनाये गये शस्त्र लाइसेन्सों का शपथ पत्रों के आधार पर प्रोविजिनल नवीनीकरण करने हेतु आदेश पारित किये जा चुकें है ।

15. **सेवारत एवं सेवानृवित सैनिकों सी0एस0डी0 कैण्टीन के माध्यम से दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में वैट से मुक्त किये जाने हेतु अधिसूचना जारी ।** सभी सेवारत सैनिक एवं पूर्व सैनिकों को वाहन खरीदने पर विक्रय कर मे छूट दिये जाने का प्रावधान सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इससे प्रदेश में सेवारत एवं सभी पूर्व सैनिक सभी को वाहन खरीदने में छूट प्राप्त करने पर लाभान्वित होगें।

16. **उत्तराखण्ड पुलिस एंव आर्मड् फोर्सेज सहायता संस्थान।** उत्तराखण्ड आर्मड् फोर्सेज सहायता संस्थान से प्रदेश निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं स्थाई रूप से युद्ध अपंग सैनिकों, जिन्हें अपंगता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो, को निम्न आार्थिक सहायता अनुमन्य है :–

क्र.सं.	मद का नाम	अधिकारी	जे0सी0ओ0 / अन्य रैंक
(अ)	अनुग्रह अनुदान (शहीद सैनिकों के आश्रितों हेतु)	₹ 1,60,000	₹ 1,00,000
(ब)	अनुग्रह अनुदान (स्थाई रूप से युद्ध अपंग सेवानिवृत्त सैनिकों हेतु)	₹ 75,000	₹ 55,000
(स)	युद्ध विधवा / स्थाई रूप से युद्ध अपंग सैनिक के पुत्री विवाह हेतु	–	₹ 30,000 (केवल हवलदार तक)
(द)	जीवन निर्वाह हेतु (एकमुश्त अनुदान, सिर्फ हवलदार पद तक)	–	₹ 11,000 / –
(य)	विशेष चिकित्सा (कैंसर, हृदय, मस्तिष्क व प्लास्टिक सर्जरी हेतु)	–	अनुमानित व्यय की 75 प्रतिशत धनराशि

शिक्षा अनुदान ।

क.स.	मद का नाम	आर्थिक सहायता
(अ)	कक्षा 09 से स्नात्कोत्तर लेवल तक	₹ 1000 / –
(ब)	पीएचडी / एलएलडी तथा एमफिल(मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य)	₹ 12000 / –
(स)	कोचिंग हेतु (प्रतियोगात्मक परीक्षा / उच्च शिक्षा) मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य)	₹ 2500 / –
(द)	आई0टी0आई0 हेतु	₹ 1800 / –
(य)	सर्टिफिकेट / डिप्लोमा कोर्स हेतु	₹ 2200 / –
(र)	बी0एस0सी0 / बी0डी0सी0 / बी0बी0ए0 डिग्री हेतु	₹ 3200 / –
(ल)	बी0टेक, एम0टेक, एम0बी0बी0एस0,बी0एस0सी0 हेतु	₹ 5200 / –
(व)	कमप्यूटर शिक्षा (मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष या उससे अधिक के कोर्स हेतु)	₹ 12000 / –